राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

मस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

जयपुर, दिनांक:- 28-3-2000

प•5(1)(राज-6/97/1

विषय:- कृषि भूमि के बँटवारे के प्रकरण शीघ्र निपटाने बाबत ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53(2) में सह काश्तकारों
कृषि भूमि के आपसी सहमति या डिक्री के आधार पर बँटवारे के लिए प्रावधान
ए है । इसके तहत राजस्थान काश्तकारी (राजस्वमण्डल) नियम, 1955 में नया
य "4" जोडकर इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया दर्शायी गयी है एवं इसके लिए एक परिपत्र
प•5(1)(राज-6/97/10 दिनांक 8•7•97 जारी किया गया है । इन नियमों के
र कृषि जोत के सह कृषक अपनी जोत के विभाजन के अनुबंध निष्पादित कर
ीलदार के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे । सह कृषकों के बीच यदि कोई दावा चल रहा है
उनमें विभाजन पर सहमति हो जाती है तो कृषकों की ऐसी सहमति के आधार पर
यालय डिक्री पारित कर देगा । राजस्व अधिकारी बँटवारे के ऐसे मामलों में सह-
कों के हिस्से की मात्रा के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करेंगे ।

सह काश्तकारों से कृषि भूमि के बँटवारे के संबंध में काश्तकारी अधिनियम/नियम
स्पष्ट एवं सरल प्रावधानों के बावजूद भी राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि
इस तरह के काफी प्रकरण विचाराधीन है जिससे किसानों को अनावश्यक परेशानी होती
है ।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि भूमियों के बँटवारे के संबंध में
माह अप्रेल में नई जमाबंदियों के गठन के समय ऐसे सभी सहमति के मामलों को चिन्हित
करें एवं काश्तकारों को विभाजन हेतु प्रेरित करें । जिला कलेक्टर संबंधित हल्का पटवारी
एवं गिरदावर को पाबन्द करें कि वे गांवों में जमाबंदियों के गठन के समय संयुक्त खाते से
संबंधित काश्तकारो से चर्चा करें एवं सहमति के मामलों का पंजीकरण करें । यह जानकारी
लेवें कि क्या उक्त खाते की भूमि मौके पर सहमति के आधार पर पहले से बाँटी जा चुकी
है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो क्या वे सहमति के आधार पर बँटवारा करना चाहते है?
दोनों ही स्थितियों में मौके पर बँटवारा तैयार करवाया जावे । काश्तकारों के
मध्य समझौता संबंधी पर्चा ... तैयार कराया जावे । जिसे बाद में तहसीलदार
के समक्ष प्रेषित किया जावे तथा स्वीकार कराया जावे। तदनुसार रिकार्ड में मय नक्शा
प्रेस अमल दरामद कराया जावे ।

क्रमशः•••••2 पर

अत: निर्देशित किया जाता है कि माह मई के प्रथम सप्ताह के अन्त तक ऐसे सभी मामलों पर बँटवारे के आदेश हो जाने चाहिए तथा मौके पर बँटवारा एवं नक्शों में तरमीम का कार्य एक माह के अन्दर समाप्त कर इस प्रगति से इस विभाग को संलग्न विवरण में अवगत कराया जावे ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे ।

भवदीय,

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

विवरण पत्र
प्रारूप

भू-राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत परस्पर करार के आधार पर निस्तारित किए गये प्रकरणों का मासिक विवरण पत्र

जिले का नाम ------------------

माह ---------------- वर्ष --------------

क्र०सं०	तहसील का नाम	गांवों की संख्या	कुल खह खातेदारों की संख्या
1.	2.	3.	4.

समझौते के आधार पर इच्छुक खातेदारों के खातों की संख्या	मौके पर बँटवारा किये गए खातों की संख्या	अवशेष प्रकरण
5.	6	7